

**कार्यालय
संघीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

सम्बद्धता दिनांक: 15-5-2019

-कार्यालय द्वारा-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक मात्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा तारीख तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में पत्रिका कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मात्र 2019-20 हेतु आवेदित गई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संवर्धित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश अर्थात् वृद्धि/कमी हेतु मात्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक को. नं. 17 में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संवर्धित करने वाली गई संस्था का प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा मध्य विचार-विमर्श कर निम्नान्तु निर्णय लिया गया -

“ऐसी नवस्थापित डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाएं जिन्हें मात्र 2019-20 हेतु ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परंतु पी0सी0आई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरंत ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुक्रम मात्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की नहीं है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को पी0सी0आई0 अनुमोदन पत्र प्राप्त हो जाने के उपरोक्त प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय में बैठक आहूत कर ली जाये जिससे संबंधित संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कारुन्तिक्रम में सम्मिलित कराया जा सके।”

उक्त निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विचार-विमर्श द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा किये गये निर्णय के आधार पर प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मात्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं इनमें उल्लिखित प्रवेश अर्थात् हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा मात्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश अर्थात्	परिषद द्वारा मात्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश अर्थात्
1	2011	आर्य समाज इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेस्युटिकल साइंसेज, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, बंगाल का राज्य, लखनऊ-226002	डिप्लोमा इन फार्मेसी	हां	हां

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा 1982 एवं 1988 प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमकाली 1988 तथा अन्य निर्दिष्ट विनियम एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण सम्बन्धित द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों हेतु पाठ्यक्रमों हेतु ₹0-20,000.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों तक फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0-40,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों अध्ययन (दो वर्षों तक फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रतिवर्ष) हेतु ₹0-20,000.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक वर्ष/अंश में प्रायः किया जायेगा। उपरोक्त

(Handwritten Signature)

की प्रतिष्ठित छात्र/छात्राओं से शुल्क की सम्बन्ध में समाज-समाज का वास्तविक रूप निर्णय करने वाले कार्यक्रमों प्रभावी होंगे, और सर्वसुचारु कार्यवाही किया जाने आवश्यक होगा। नीचे निर्धारित समिति द्वारा दिये गए 2018-20 के लक्ष्यों का अनुमोदन किया जाता है, जो नीचे की सूचीबद्ध पर लागू होंगी।

- ✓ संस्था की (पुस्तक) प्रारम्भिक शिक्षा अभिवृद्धि तथा रूप अभिवृद्धि, सुविधाओं को सम्बद्ध शिक्षा प्राप्त अभिवृद्धि-3200 की शर्तों का अनुमोदन किया होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित पाठों को ही अपेक्षित किया जाएगा। सत्रों के शिक्षा एवं जाने की स्थिति में जहाँ प्रवेश काल में निर्धारितानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समाज-समाज पर निर्णय कार्यक्रमों को अनुमोदन निश्चित एवं सम्बद्ध शुल्क प्राप्त करना होगा।
- ✓ संस्था को (उच्चशैक्षणिक/टीचर्स) में जागगी गत लक्ष्य अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था जहाँ प्रवेश काल में द्वारा कला के विधि/विद्यार्थी/अभियोग/शास्त्रादेश/निर्देश एवं निर्देशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उच्च, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च तथा प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, उच्च द्वारा कला के विधि/विद्यार्थी, अभियोग, निदेशों का पालन करने के विधि प्राप्त होगी।
- ✓ किन्तु इन कार्यवाही कार्यक्रमों को सम्बन्धित विधि/टीचर्स, एवं शिक्षा से अनुमोदन प्राप्त करने में आवश्यक रहती है जो इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा उपस्थित संस्था को होगा और विधिक रूप में किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रारम्भिक शिक्षा निर्देशक एवं प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक जहाँ प्रवेश काल में कोई उच्च प्राप्त किया जाता है तथा उच्च गत को सम्बन्ध में या समाज द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति संबंधी अपेक्षा निर्णय किया जाता है जो संस्था प्रतिभूति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ किन्तु इन कार्यवाही कार्यक्रमों सम्बन्धित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त उच्च परीक्षा परिषद, उच्च प्रवेश: लक्ष्यक द्वारा अपेक्षा एवं के लिए आवश्यक प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यवाही प्राप्त होने के पूर्व निर्धारितानुसार से अनुमोदन प्राप्त एवं परिषद कार्यक्रमों को सम्बन्धित करना होगा संस्था उन्हें प्रवेश की (कार्यवाही) के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश अनुमोदन नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उच्च प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश हेतु निर्णय कार्यक्रमों सम्बन्धित विधि/टीचर्स का अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट का संस्था की समाज सुलभ जैसे संस्था की प्रतिष्ठित सुविधुनि, स्टाफ, समाज-समाज, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, कार्यक्रम शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विद्यार्थी-परिषद हेतु उपलब्ध कार्यक्रमों सम्बन्धित करने के साथ विधि/टीचर्स को सम्बन्ध में समाज आवश्यक कार्यक्रम सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित की है कि संस्था में प्रशासनिक/सामाजिक कार्यक्रमों को सम्बन्धित करने हेतु निर्णय कार्यवाही के साथ सम्बन्धित करने को सुनिश्चित, सुविधा, समीक्षा, उपकरण सुविधा का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य कार्यक्रमों को समाज में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपलब्धता का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बन्धित समाज किया जाना की अनुमोदन की जाएगी।
- ✓ सम्बन्धित शर्तों का अनुमोदन न किया जाने संस्था शर्तों का सम्बन्धित विधि/टीचर्स को किसी भी विधि में निर्णयानुसार अनुमोदन कार्यक्रमों कार्यवाही की जाएगी।

(संजीव कुमार सिंह)
सचिव

पुस्तक- प्रारम्भिक/परिषद सम्बन्धित / 2018 / 1133-3202

तारीख: 16-6-2018

प्रतिष्ठित-मानवसर्व/निदेशक, अन्वेषण एवं टीचर्स और प्रशासनिक सम्बन्धित, सचिवालय, एच.टी. रोड, अहमदाबाद, गुजरात का समाज, अहमदाबाद-380002

(संजीव कुमार सिंह)
सचिव

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या— प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2020/1071

लखनऊ दिनांक: 15-8-2020

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्राथमिक सत्र 2020-21 हेतु विज्ञाना राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निर्णित द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य स्वी पर विचार कर्ते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के क्र-3 में विज्ञाना इन फार्मसी पाठ्यक्रम संघटित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

निजी क्षेत्र में स्थापित विज्ञाना इन फार्मसी पाठ्यक्रम संघटित करने वाली संस्थाएं जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईई द्वारा उन्हें पश्चात् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईई द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को आगत सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु विस्तारित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं. संस्था सं. संस्था	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआईई द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीसीआईई /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	
1	2017	प्रमोदराज इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, चंडीगढ़ रोड, कल्याण, कच्छी हा हासन, लखनऊ।	विज्ञाना इन फार्मसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एडवांस्ड/पीसीआईई/पीसीआईई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों पर पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं लखनऊ प्राथमिक शिक्षा परिषद विलियमजोसे (1982) सेक्टर विनियमावली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,000.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०-45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (एन फार्मसी फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक वर्ष/प्रकार से प्राप्त किया जाएगा। प्राप्तकर्ता को अधिलिप्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में सलाह-समय पर सलाह द्वारा निर्णय किये जाने वाले वास्तविकता प्रभावी होने, और अनुसृत करारनाही किया



समाज आवश्यक होगा। नीचे निर्धारित शर्तियाँ द्वारा यदि वर्ष 2020-21 हेतु सीमा का पुनर्विचार किया जाता है तो सीमा की नवीनीकरण पर लागू होगी।

- ✓ संस्था को 2020 प्राथमिक शिक्षा अभिवृद्धि तथा उच्च शैक्षणिक, साक्षात्कार एवं सम्बद्ध विद्यालयों/विनिष्ठाकारी-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित करने की ही प्रवेश किया जावेगा। सीटों के लिए छात्र करने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन को विद्वेक्षानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को उत्तर-समाज पर निर्मित साक्षात्कार के अनुसार निर्दिष्ट एव सम्बद्धता इत्यादि कार्य करना होगा।
- ✓ संस्था को एम्प्लॉयमेंट/गैर-एम्प्लॉयमेंट से आगामी वर्ष हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश साक्षर द्वारा बनाये गये विधि/विधियों/अधिनियमों/सम्झौतों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, 2020, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा बनाये गये निर्देश, निर्दिष्ट आवेदनों, निर्देशों का पालन करने को लिखे जायेगा।
- ✓ विधियाँ इन शर्तों पर लागू करने को संस्थाएं यदि पीसीआई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ होती है तो इस संबंध में समस्त कार्यालयिक संचालन का होगा और विधियों एवं से क्विटी की कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई खर्च वास्तु किया जाता है तथा वास्तु खर्च की संस्था में न. न्यायपालना द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आवेदन निर्मित किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विधियाँ इन शर्तों पर लागू करने संबंधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संचालन द्वारा आवेदन एवं से लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु आयोजित करने हेतु पीसीआई/2020 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उत्तरदायी करना होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (सम्बन्धित) के माध्यम से अपना संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति पूरी प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित हेतु निर्मित नवीकरण आदेशन विधियों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उत्तर, साक्षर-संस्था, प्रबंधन, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रदेशन हेतु उपयुक्त पर्यावरण उपलब्ध करने को सक्षम होगा जो करने के संस्था में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कार्यकर्ता को भुगतान करने हेतु नियुक्त समिति को समस्त आवश्यक करते गये शैक्षणिक, बुनियादी, कर्मचारी, उत्तरदायी इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पर्यवेक्षण को संभालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उत्तरदायी किये जाने की स्थिति में निष्पत्तुत्तर अनुशासनगत कार्यवाही की जायेगी।

(डा. जयशंकर सिंह)
सचिव

पुंस्तंभ- शांति/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1872-3141

तद् दिनांक 15-08-2020

पत्रिका-प्रधानाचार्य/निदेशक, उम्पेरोस्वर इन्स्टीट्यूट ऑन काम्युनिस्टिकल साइंस, चटिया रोड, अजयपुर, बज्जी का ताता, लखनऊ।

(डा. जयशंकर सिंह)
सचिव

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2017-AMBEKESHWAR INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, CHANDRIKA DEVI ROAD,KATHWARA,BAKSHI KA TALAB,LUCKNOW-226202			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, AMBEKESHWAR INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCES,
CHANDRIKA DEVI ROAD, KATHWARA, BAKSHI KA TALAB, LUCKNOW-226202



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव